



छत्रेश्वरी गाउँपालिका, सल्यान, कर्णाली प्रदेश नेपाल

स्थानीय राजपत्र

खण्ड ९

संख्या १

भाग-१

छत्रेश्वरी गाउँपालिका

गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय भोटेचौर, सल्यान

गाउँसभाबाट प्रमाणिकरण मिति: २०८२/०३/१०

स्थानीयतहको आर्थिक ऐन २०८२

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन

प्रस्तावना:

छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त स्थानीय कर तथा शुल्क संकलन गर्ने छुट दिने तथा आय संकलनको प्रशासनिक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले नेपालको संविधान धारा २२८ को उपधारा २ बमोजिम छत्रेश्वरी गाउँसभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ (१) यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन २०८२ रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०८२ साल श्रावण १ गते देखि छत्रेश्वरी गाउँपालिका क्षेत्रमा लागु हुनेछ ।

२। सम्पत्ति कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुची १ बमोजिम एकिकृत सम्पत्ति कर र घरजग्गा कर लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

३। भुमि कर (मालपोत) गाउँपालिका क्षेत्रभित्र अनुसुची २ बमोजिम भुमि कर मालपोत लगाइने र असुल उपर गरिने छ ।

४। घर बहाल कर: गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले भवन घर पसल ग्यारेज गोदाम टहरा छप्पर जग्गा वा पोखरी पुर्ण आंशिक तवरले बहालमा दिएकोमा १० प्रतिशतका दरले घर जग्गा बहाल कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

५। व्यावसाय कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र व्यापार व्यवसाय वा सेवामा पुजिगत लगानी र आर्थिक कारोवारका आधारमा अनुसुची ३ बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

६। जडिबुटी कवाडी र विनजन्तु कर: गाउँपालिका क्षेत्र भित्र कुनै व्यक्ति वा संस्थाले उन खोटो जडिबुटी बनकस कवाडी माल र प्रचलित कानुनले निषेध गरिएको जीवन्तु वाहेकका अन्य मृत वा मारिएका जिव जन्तुको हाड सिङ प्वाँख छाला जस्ता वस्तुको व्यवसायिक कारोवार गरे वापत गाउँ कार्यपालिकाले तोके बमोजिम कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

७। सवारी साधन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र दर्ता भएका सवारी साधनमा गाउँ कार्यपालिकाले तोके बमोजिम सवारी साधन कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

८। विज्ञापन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्रहुने विज्ञापनमा गाउँ कार्यपालिकाले तोके बमोजिम विज्ञापन कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

९। मनोरन्जन कर: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र हुने मनोरन्जन व्यवसाय सेवामा अनुसुची बमोजिम व्यवसाय कर लगाइने र असुल उपर गरिनेछ । तर प्रदेश कानुन स्वीकृत भई सो कानुनमा अन्यथा व्यवस्था भएको अवस्थामा सोही बमोजिम हुनेछ ।

१०। बहाल विटौली शुल्क: गाउँपालिका क्षेत्रभित्र आफुले निर्माण रेखदेख वा संचालन गरेका घर टहरा हाट बजार वा पसलमा अनुसुचीमा भएको अवस्था अनुसुची अनुसार बहाल विटौरी शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ भने उल्लेख नभएको हदमा कार्यपालिकाद्वारा निर्णय गरी दर लागु गरिने छ ।

११। सेवाशुल्क दस्तुर: गाउँपालिकाले निर्माण संचालन वा व्यवस्थापन गरेका अनुसुची १२ मा उल्लेखित स्थानीय पुर्वाधार र उपलब्ध गाराइएको सेवामा सेवाग्राहिबाट सोही अनुसुचीमा व्यवस्था भए अनुसार शुल्क लगाइने र असुल उपर गरिनेछ ।

१२। कर छुट: यस एन बमोजिम कर तिर्ने दायित्व भएका व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई कुनै पनि किसिमको कर छुट दिइने छैन

१३। कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधी यो ऐन मा भएको व्यवस्था अनुसार कर तथा शुल्क संकलन सम्बन्धी कार्यविधी गाउँपालिकाले तोके अनुसार हुनेछ ।

स्वीकृत सेवा शुल्क दस्तुर

आ.व. २०८२/०८३ को लागि स्वीकृत राजस्वको दर र क्षेत्रहरु

| सि.नं. | राजस्वका क्षेत्रहरु | चालु आ .व. को दर रुपैयामा | कैफियत |
|--------|------------------------------|---------------------------|---|
| १ | विवाह प्रमाणित | ५०० | |
| २ | कच्ची घर कर | ५० | |
| ३ | जस्ता / ढुङ्गा र टायलको छाना | १०० | |
| ४ | पक्की घर प्रतितला | २०० | |
| ५ | अंग्रजीमा गरिने सबै सिफारिस | ५०० | |
| ६ | नागरिकता सिफारिस | २०० | |
| ७ | नागरिकता प्रतिलिपि सिफारिस | २०० | |
| ८ | अंगीकृत नागरिकता सिफारिस | ५०० | |
| ९ | नाता प्रमाणित स्वदेश प्रयोजन | ३०० | |
| १० | नाता प्रमाणित विदेश प्रयोजन | १५०० | आपत कालिन /वैदेशिक उद्धार निशुल्क गर्ने । |
| ११ | पारिवारिक विवरण सिफारिस | २०० | |
| १२ | नाता कायम सिफारिस | २०० | |

| | | | |
|----------------------------|--|------------|--------------------------|
| १३ | बसोवास प्रमाणित सिफारिस | ५०० | |
| १४ | नावालक सिफारिस | २०० | |
| १५ | जन्ममिति प्रमाणित सिफारिस | २०० | |
| राजस्वका क्षेत्रहरु | | | |
| १६ | सबै प्रकारका सादा सिफारिस र व्यवसाय नविकरण | २०० | |
| १७ | खानेपानी टेलिफोन जडान विद्युत नाम सारी ठाउँ सारी सिफारिस | ३०० | |
| १८ | विद्युत मिटर जडान घरायसी | ३०० | |
| १९ | विद्युत मिटर जडान उद्योग | १५०० | |
| २० | जग्गाधनी पुर्जा प्रतिलिपी सिफारिस | ३०० | |
| २१ | घर कायम सिफारिस | १००० | |
| २२ | व्यवसाय बन्द तथा नाम परिवर्तन सिफारिस | ५०० | |
| २३ | होटल दर्ताको सिफारिस | १००० | |
| २४ | पेन्सन सिफारिस | ५०० | |
| २५ | निजि बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना अनुमति सिफारिस | ६००० | |
| २६ | जग्गा प्लटिड इजाजत प्रति रोपनी | ३००० | |
| २७ | जग्गा नामसारी सिफारिस | २०० | |
| २८ | सर्जमिन मुचुल्का | ५०० | |
| २९ | उजुरी निवेदन दर्ता शुल्क | ५० | |
| ३० | अपाङ्ग र विरामी सिफारिस | नि शुल्क | |
| ३१ | आम्दानी प्रमाणित १५ लाख सम्म (प्रति लाख) | १०० | नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा |
| ३२ | आम्दानी प्रमाणित १५ लाख माथी (प्रति लाख) | १५० | नेपाली र अंग्रेजी दुवैमा |
| ३३ | व्यावसाय नविकरण वार्षिक | २०० | |
| ३४ | व्यवसाय सुचिकृत | ५०० | |
| ३५ | घरबहाल कर | १० प्रतिशत | |
| ३६ | परामर्श सेवा दर्ता | १५०० | |
| उद्योग तर्फ | | | |
| ३७ | साना तथा घरेलु उद्योग | १५०० | |
| ३८ | मझौला उद्योग | २५०० | |

| | | | |
|--|---|-------|--|
| ३९ | ठुला उद्योग | ५००० | |
| ४० | माथी उल्लेखित उद्योगको सर्जिमिन शुल्क | ५०० | |
| ४१ | उद्योग नामसारी ठुला | २००० | |
| ४२ | उद्योग नामसारी मझौला | १५०० | |
| ४३ | उद्योग नामसारी साना | १००० | |
| चारकिल्ला प्रमाणित (बैंक प्रयोजन) | | | |
| ४४ | एउटा कित्ताको राजमार्ग क्षेत्र | ६०० | |
| ४५ | थपप्रतिकित्ता राजमार्ग क्षेत्र | १०० | |
| ४६ | अन्य क्षेत्र एक कित्ता | ३०० | |
| ४७ | थपप्रतिकित्ता | ५० | |
| घरजग्गा मुल्याङ्कन | | | |
| ४८ | १ लाख देखी ५ लाख सम्म | ५०० | |
| ४९ | थप प्रति लाख | १०० | |
| नक्सापास | | | |
| ५० | आर.सी.सी.क लागि (स्थानहरु ताक्ने) तथा राजमार्ग क्षेत्रमाप्रति स्क्वायर फिट प्रतितला | १० | |
| ५१ | आर.सी.सीको लागिप्रति स्क्वायर फिट प्रतितला | ७ | |
| ५२ | आर.सी.सीको लागि र राजमार्गमा पर्नेको प्रति स्क्वायर फिट प्रति तला निर्माण भईसकेको | १२ | |
| ५३ | आर.सी.सीको लागिप्रति स्क्वायर फिट प्रतितला निर्माण भईसकेको (अन्य क्षेत्रमा) | १० | |
| निजि विद्यालय स्थापना तथा तह वृद्धी | | | |
| ५४ | आधारभुत स्तर | १५००० | |
| ५५ | मा.वि. स्तर | २०००० | |
| ५६ | क्याम्पस कलेज | २५००० | |
| निजि विद्यालय कक्षा वृद्धी | | | |
| ५७ | कक्षा १-३ सम्म प्रतिकक्षा | ५००० | |
| ५८ | कक्षा ३-५ सम्म प्रतिकक्षा | ६००० | |
| ५९ | कक्षा ५-८सम्म प्रतिकक्षा | ७००० | |
| ६० | कक्षा ९-१० सम्म प्रतिकक्षा | ८००० | |

| सामुदायीक विद्यालयको कक्षा अपग्रेड | | | |
|---|--------------------------------|----------------|----------------------|
| ६१ | आधारभुत स्तर | | १५०० |
| ६२ | मा.वि. स्तर | | २००० |
| ६३ | क्याम्पस कलेज | | २५०० |
| व्यक्तिगत घटना दर्ता | | | |
| ६४ | ३५ दिन पछि सबै | | २०० |
| ६५ | व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रतिलिपी | | ५०० |
| मालपोत कर पाखो तर्फ | | | |
| ६६ | अव्वल | ४०/रोपनी | |
| ६७ | दोयम | ३०/रोपनी | |
| ६८ | सिम | १०/रोपनी | |
| ६९ | चाहार | ५/रोपनी | |
| अनुसुची (२)मालपोत कर खेत तर्फ | | | |
| ७० | अव्वल | ५०/रोपनी | |
| ७१ | दोयम | ४०/रोपनी | |
| ७२ | सिम | १५/रोपनी | |
| ७३ | चाहार | १०/रोपनी | |
| वक्यौता मालपोतकर पहिलो वर्ष १०प्रतिशत दोस्रो वर्ष १५ प्रतिशत सो भन्दा माथी २५ प्रतिशत असुल हुनेछ। | | | |
| योजना सम्झौता शुल्क | | उपभोक्ता समिति | कोटेशन र ठेक्कापट्टा |
| ७४ | १ लाख सम्म | ५०० | ५०० |
| ७५ | १ लाख देखी ५ लाख सम्म | १००० | २००० |
| ७६ | ५ लाख देखी १० लाख सम्म | २००० | ४००० |
| ७७ | १० लाख देखी २० लाख सम्म | ४००० | ८००० |
| ७८ | २० लाख देखी ३० लाख सम्म | ६००० | १२००० |
| ७९ | ३० लाख देखी ४० लाख सम्म | ७००० | १४००० |
| ८० | ४० लाख देखी ४९ लाख सम्म | ८००० | १६००० |
| ८१ | ५० लाख सम्म | १०००० | २०००० |
| ८२ | ५१ लाख भन्दा माथी थप प्रतीलाख | ५० | २०० |
| व्यापारीक वस्तु (वार्षिक) अनुसुची (३) | | | |
| ८३ | चुरोट थोक विन्नेता | | १५०० |
| ८४ | चुरोट खुद्राविन्नेता | | ५०० |

| | | | |
|----|-------------------------|------|--|
| ८५ | मदिरा डिलर सबै प्रकारका | २००० | |
| ८६ | मदिरा खुद्रा | १००० | |
| ८७ | कोल्ड स्टोर | १००० | |
| ८८ | गहना बनाउने ठुलो पसल | २००० | |
| ८९ | गहना बनाउने सानो पसल | ५०० | |

व्यापार मेला कार्यपालिकाले निर्णय गरी सापेक्षतामा निर्धारण गर्ने

कपडा पसल

| | | | |
|----|------------------------|------|--|
| ९० | कपडा थोक पसल | १५०० | |
| ९१ | कपडा खुद्रा पसल फेन्सी | १००० | |

व्यावसाय कर

| | | | |
|----|-----------------|------|--|
| ९२ | सानो घुम्ती पसल | ५०० | |
| ९३ | अन्य खुद्रा पसल | १००० | |
| ९४ | होटल साधारण | १००० | |
| ९५ | चिया नास्ता पसल | ५०० | |

वित्तीय क्षेत्र

| | | | |
|-----|-----------|-------|--|
| ९६ | क वर्ग | १५००० | |
| ९७ | ख वर्ग | १०००० | |
| ९८ | ग वर्ग | ८००० | |
| ९९ | घ वर्ग | ५००० | |
| १०० | रेमिटान्स | १५०० | |
| १०१ | सहकारी | ५०० | |

काठ चिरानीमिल दर्ता

| | | | |
|-----|----------------------|------|--|
| १०२ | फर्निचर उद्योग दर्ता | २००० | |
| १०३ | डेरी उद्योग दर्ता | १००० | |
| १०४ | फर्निचर पसलदर्ता | १००० | |

घर कर

| | | | |
|-----|----------------------|------|--|
| १०५ | नयाँ घट्ट दर्ता | १००० | |
| १०६ | विद्युतिय घट्ट दर्ता | १००० | |
| १०७ | बन्दुक कर | ५०० | |
| १०८ | घरवाटो सिफारिस | ३०० | |
| १०९ | प्रति कित्ता थप | १०० | |

रुख कटान सिफारिस

| | | | |
|---|--|------|--|
| ११० | प्रति रुख | १००० | |
| १११ | प्रतिथप रुख | ५०० | |
| उर्जामुलक उद्योग | | | |
| ११२ | गोवर ग्यास कम्पनी | ५०० | |
| ११३ | सोलार पावर कम्पनी | १००० | |
| कृषि तथा वन्यजन्य उद्योग | | | |
| ११४ | काठ चिरानी सम्बन्धी काम गर्ने स.मिल | २००० | |
| ११५ | प्लाईउड सम्बन्धी काम गर्ने स.मिलचिरानी मेसिन राखी वा नराखी | १५०० | |
| कृषि तथा पशु समुहदर्ता निःशुल्क हुनेछ । | | | |
| धान कुट्टने गहुँपिस्ने तारी पेलने उद्योग (मिल) | | | |
| ११६ | ५ हर्ष पावर देखी २० हर्ष पावर सम्म | १५०० | |
| ११७ | २० देखी ३० हर्ष पावर सम्म | २००० | |

वैदेशिक रोजगार श्रम स्वीकृति

| | | | |
|--|------------------------------|---------------------------|----------------|
| ११८ | श्रम स्वीकृती दस्तुर | २०० | |
| गाउँपालिकाबाट निकासी हुने निकासीन्य बस्तुमा देहाय बमोजिमको कर लगाईने छ । | | | |
| सि.नं. | अदुवा/सुन्तला/आलु /किवी/अन्य | टिमु/ सुटो | |
| १ | पिकअप गाडी | १०००/गाडी | २०००/गाडी |
| २ | मिनि ट्रक | १५००/मिनि ट्रक | ३०००/मिनि ट्रक |
| ३ | ट्याक्टर | २०००/ट्याक्टर | ४०००/ट्याक्टर |
| ४ | ट्रक | ३०००/ट्रक | ६०००/ट्रक |
| हेभी मेसिन तर्फः | | | |
| १ | टिप्पर | प्रतिदिन रु १३००० | इन्धन बाहेक |
| २ | स्काभेटर | बकेट प्रतिघण्टा रु ७५०० | इन्धन सहित |
| ३ | स्काभेटर | ब्रेकर प्रतिघण्टा रु ८५०० | इन्धन सहित |
| ४ | ब्याकलोहोडर | प्रतिघण्टा रु ४००० | इन्धन सहित |

१. गाउँपालिकाले तोकेको अवधिमा गाउँ क्षेत्र भित्र व्यवसाय संचालन गरे वापत वार्षिक रुपमा तिर्न पर्ने कर नतिरेमा निम्न अनुसार थप जरिवाना लाग्नेछ ।

क. म्याद समाप्त भएको मितिले असोज मसान्त सम्म नि शुल्क ।

ख. पौष मसान्त सम्म लाग्ने दस्तुरको ५ प्रतिशत ।

ग.अषाढ मसान्त सम्म लाग्ने दस्तुरको १० प्रतिशत र सो भन्दा बढी म्याद गुजारी कर चुक्ता गर्न आएमा २५ प्रतिशत थप जरिवाना लाग्नेछ ।

घ. पहिलो पटक गाउँपालिका बाट सुचना निकालेको वखत र अन्य वर्षहरूमा आश्विन महिना भित्र लाग्ने दर्ता नविकरण कर कर चुक्ता गर्न आउने व्यक्ति फर्म कम्पनीलाई जम्मा लागतको १० प्रतिशत छुट दिईने छ ।

ड. माथि उल्लेखित कर दस्तुर बाहेक यस आ।व।मा अन्य कुनै प्रकारको करको दायरा आवश्यक महसुस भएमा गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गरी कार्यविधि बनाई दर निर्धारण गर्न सक्नेछ ।

च.माथि जुन सुकै कुरा उल्लेख भएतापनि आर्थिक रूपले विपन्न नागरिक भएको हकमा आवश्यक सिफारिस दस्तुर लाग्ने छैन ।

आज्ञाले,
गुरु प्रसाद योगी
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत